न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– सुभाष चन्द बनाम अर्जुन लाल आदि

मु.नं0 109 वर्ष 2024

किस्म मुकदमा– प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट

दिनांक	आज्ञा पत्र
23.12.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय टी0आई0 पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में कृषि भूमियां ख0नं0 547, 548, कुल किता 2 कुल रकबा 4.3100 है0 अवस्थित है, जिसके नया खाता सं0 354 है, जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का 355/2586 हक हिस्सा निहित है। उक्त भूमि ख0नं0 547, 548 में से उपरोक्त हक हिस्से की भूमि मय कुंआ विधुत पंप सैट को प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने संयुक्त रूप से इसके पूर्व स्वामी व खातेदार हनुमान प्रसाद पुत्र स्व0 गणेशनारायण से विक्रय प्रतिफल राशि 25,00,000/– रूपये में खरीद कर मालिकाना हक प्राप्त किया था। जिसके विक्रय पत्र को उप पंजीयक, पलसाना द्वारा दिनांक 24.07.2013 को पंजीबद्ध किया गया है, ज़िसके आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 के नाम से नामान्तकरण भरा जाकर प्रार्थी के नाम से 355/2586 हक हिस्से की खातेदारी तथा प्रति0सं0 2 व 3 के नाम से 355/2586, 355/2586 हक हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया गया है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने अपने हक हिस्से में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्णित कृषि आराजी का प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आज दिन तक बाई मिट्स एंड बाउण्डस से विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इस कारण उन पर सभी पक्षकारों का इंच प्रति इंच अविभाजित हिस्सा बनता है। भूमियों का बाई मिट्स एंड बाउण्डस से विभाजन नहीं होने के कारण प्रार्थी को आये दिन कई समस्याओं का सामना करना पडता है तथा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों को अच्छी तरह से विकसित नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को आपसी सहमति के आधार पर विधिवत बंटवारा करवाये जाने हेतु निवेदन किया, लेकिन वे सहमति के आधार पर बंटवारा करने के लिए सहमत नहीं हुए। इस कारण वाद बाबत बंटवारा प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। अप्रार्थीगण मद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमियों में अपने हिस्से को बिना विधिवत बंटवारा किये ही भूमियों के सडक से लगते हुए विशिष्ट भाग को बाला–बाला विक्रय अंतरित करने की कुचेष्टा में लगे हुए है। अगर वे अपनी कुचेष्टा में सफल हो गये तो प्रार्थी को असीम हानि होगी, जिसकी पूर्ति कियाजाना बाद में किसी प्रकार संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया है कि इसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे मद सं0 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमियों की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाई रखे। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में अंकित कथनों को ही दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया अप्रार्थीगण के विरूद्ध टी0आई0 कंफर्म की जावे। सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 547 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 548 रकबा 4.3000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3100 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया गया था।

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत खातेदारी उद्घोषणा, बंटवाराएंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अं0 धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट पेश किया है। वाद में अप्रार्थी सं0 1 ता 7 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर वाद वर्तमान में साक्ष्य वादी में विचाराधीन है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद सं0 129/2024 उनवानी सुभाष चन्द्र बनाम अर्जुनलाल आदि के निस्तारण तक राजस्व ग्राम मदनी प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 547 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 548 रकबा 4.3000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3100 है0 के रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर